न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/434

प्रकरण संख्या 191/22

अनवान

1. श्री राधावल्लभ पुत्र प्रताप, ब्राह्मण निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गिरिजाशंकर पुत्र कालुशंकर श्रीमाली ब्राह्मण निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भगवतीलाल पुत्र कालुशंकर श्रीमाली ब्राह्मण निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. जैन शिक्षण संघ कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 06.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड चक ए पटवार मण्डल कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–2081 खाता नम्बर नया 756, की आराजी नम्बर 477 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5013/509 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी ही एक मात्र रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। उक्त आराजीयात में पडोसी निम्नानुसार है पूर्व में विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजीयात्, पश्चिम मे गाडरीयों की जमीन, उत्तर में स्वयं तथा भाईयों की आराजीयात, दक्षिण में विपक्षी संख्या 3 की आराजीयात स्थित है।

2. उक्त खातेदारी आराजीयात का सीमांकन व पत्थरगढी आज दिन तक नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहता है एवं अपनी भूमि का विकास करना चाहता है उसके लिए भूमि का पुख्ता सीमांकन कराया जाकर पक्की पत्थरगढी कराना चाहता है जिससे भविष्य में सीमा संबधित कोई विवाद नहीं रहें। अतः प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात का पक्की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहें है। विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिऐ गये। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। जवाब का अवसर बंद किया जाता है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी अपनी प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विकास करना चाहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि में विकास करने में असुविधा हो रही है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक ए, पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड में जमाबंदी संवत् 2078–2081 की खाता नम्बर नया 756, की आराजी नम्बर 477 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 5013/509 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर आदि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।